चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(4). आज दिनाँक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित सभी टोलियों/रिक्रूट आरक्षियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। परेड ग्राउंड में आर्मोरर द्वारा शस्त्रों का खोलने जोड़ने व हैन्डलिंग की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों/थानों के वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर, आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया । क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविंद कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक राम शीष यादव,आरटीसी प्रभारी प्रदीप कुमार यादव, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 12.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी इकाई का पुरवा शिवरामपुर रेपुरवामाफी कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2001 धारा 379,411 भादवि0

के आरोपी अभियुक्त गिरिजानन्द दुबे पुत्र स्कन्द प्रसाद दुबे निवासी तिलहापुर थाना सराय अकिल 2.महताब उर्फ नसीम पुत्र शममुल निवासी नयागंज आजाद नगर थाना करारी जनपद कौशाम्बी को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने 24 घण्टे के अन्दर लूट की घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त को लूट के मोबाइल फोन,घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।
अभियुक्त का नाम पता का विवरण-
राहुल यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी कस्बा व थाना कमासिन जनपद बांदा
बरामदगी-
1. लूट का 01 अदद मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-
बछरन मोड़ के पास,12.09.025,13.30 बजे
संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11/09/2025 वादी रामचरन पुत्र कल्लू उर्फ रामआसरे निवासी ग्राम अशोह थाना पहाड़ी जिला चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि दोपहर समय लगभग 3:40 वह कर्वी राजापुर रोड़ पर ग्राम अशोह मोड़ के पास खड़ा था तभी कर्वी की तरफ से राइडर गाड़ी में दो अज्ञात व्यक्ति आये और जेब में पड़ा मोबाइल छीनकर पहाड़ी की ओर भाग गये। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 162/25 धारा 309 (4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष पहाड़ी को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज दिनाँक 12.09.025 को थाना पहाड़ी पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनाँक 11.09.025 को अशोह मोड के पास जो दो व्यक्ति मोबाइल छीने है उसमें से एक व्यक्ति बछरन मोड़ के पास बैठा है, कही जाने की फिराक में है इस सूचना पर थाना पहाड़ी पुलिस टीम द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुँचकर घेरघार कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम राहुल यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी कस्बा व थाना कमासिन जनपद बांदा बताया कि जामा तलाशी से पहने लोवर की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाइल vivo कम्पनी एक अदद गाड़ी राइडर काले रंग की जिसका इंजन नम्बर व चेचिस नंबर दोनों घिसे हुए है तथा गाड़ी में नम्बर प्लेट भी नहीं है, कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब हम लोगों ने इसी मोटर साइकिल से कल असोह मोड़ के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल छीना था यह वही मोबाइल है मौके पर वादी मुकदमा को जरिये फोन मौके पर बुलाया जो मौके पर आया जिसने उक्त अभियुक्त की पहचान करते हुए बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है जिसने कल मेरा मोबाइल छीना था तथा यह जो मोबाइल बरामद हुआ है यह मेरा मोबाइल है इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसके सम्बन्ध में अभि० उपरोक्त से कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब मेरे साथ जो व्यक्ति था वह मेरे ही गांव का था उसका नाम राजेन्द्र पुत्र मुन्ना यादव निवासी ग्राम व थाना कमासिन जिला बांदा है हम लोग मिलकर चोरी व लूट की घटनाएं कारित करते है। गाड़ी से सम्बन्धित कागजात मागें गये तो वह नहीं दिखा सका,प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे है। माल बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 सत्यनारायण सिंह
2 का0 शुभम द्विवेदी
3 का० हरिशरण

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 616/2010 धारा 325,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रज्जू पुत्र बोधई निवासी ग्राम देउधा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि से दण्डित किया गया।

(9).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.08.2025 को थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम निवासी द्वारा थाना राजापुर में पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को घर से कहीं चली गयी है । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 188/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आशीष गुप्ता पुत्र बेतन गुप्ता निवासी शीतलपुर तरौहा थाना बहिलपुरवा द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने एवं शादी करके घर पर रखने की बात प्रकाश में आयी। दिनाँक 06.09.2025 को पुलिस द्वारा पीडिता को बरामद किया गया । पीडिता के बयान अन्तर्गत 180/183 बीएनएसएस बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87,142 बीएनएस की बढ़ोतरी गयी गयी। आज दिनांक 12.09.2025 को अभियुक्त आशीष गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
2.आरक्षी रोहित आर्य